16/6/22 आज नियत तिथि को प्रकरण
में बहस हुई प्रकरण
में विपक्षी का कब्जा मिट्टी
आधार पर प्राथमिक डिक्री किया
जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की
जा चुकी है इसलिए अब
कब्जे में विपक्षी प्रा० वाद मय खर्चा
प्राप्त करने डिक्री किया जाता है
वाद खर्च के लिए दोनों
पक्ष अपने अपने खर्चा वहन करेंगे

उपखण्ड अधिकारी
आलनवाड़ (राज०)